संख्या-196/2015/3746/नौ-5-2015-23बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 17 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत निकायों को द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-72/मु0अभि0/15-16 दिनांक 09.06.2015, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी को निम्न शासनादेश द्वारा सड़कों के निर्माण के हेतु प्रस्तावित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में चालू कार्यो हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष **रू. 249.90 लाख (रू. दो करोड़ उन्चास लाख नब्बे हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(रू. धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	**वाराणसी**	नगर निगम, वाराणसी	7031/नौ-5-2014-23बजट/14 दिनांक 30.01.2015	499.79	249.89	249.90
			योग			249.90

(रू. दो करोड़ उन्चास लाख नब्बे हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, वाराणसी के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

-2-

(2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31-03-2016 तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5) उक्त के अतिरिक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.01.2015 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-196/2015/3746(1)/नौ-5-2015-23बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. कोषाधिकारी, वाराणसी।
5. महापौर, नगर निगम, वाराणसी।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-17/06/2015

प्रेषण संख्या:- 196-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-196-2015-3746-9-5-2015-23Ba-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	वाराणसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24990000 24990000	24990000 24990000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24990000 24990000	24990000 24990000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ उनचास लाख नब्बे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ उनचास लाख नब्बे हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव